

-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.08.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना अतर्रा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध सूखे गांजे की तस्करी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 14 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही क्रम में थाना अतर्रा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध सूखे गांजे की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर किया गया। गौरतलब हो कि आज दिनांक 06.08.2024 को थाना अतर्रा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम थाना अतर्रा क्षेत्र में शान्ति सुरक्षा व्यवस्था, गश्त एवं चेकिंग के दौरान कस्बा अतर्रा के गनेश मन्दिर से आगे बरमबाबा के पास से अवैध सूखे गांजे की तस्करी करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 14 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ है। इस सम्बन्ध में थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

➤ 14 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त-

➤ नरेन्द्र सिंह पुत्र रामकृपाल सिंह निवासी पैलानी डेरा थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➤ मु0अ0सं0- 176/24 धारा 8/20 NDPS थाना अतर्रा जनपद बांदा

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री कुलदीप कुमार तिवारी थानाध्यक्ष अतर्रा
2. उ0नि0 श्री दीपक कुमार सैनी
3. हे0कां0 संदीप कुमार
4. हे0कां0 अश्वनी प्रताप
5. कां0 पंकज आर्या
6. कां0 विजय सिंह
7. कां0 कमल सिंह
8. कां0 अमित कुशवाहा

